मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2926
13.08.2026 को उत्तर के लिए

वन्यजीव संरक्षण एवं अनुसंधान को सुदृढ़ करना

2926. श्री अमर पाल मौर्य :
डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णीः
डॉ. परमार जशवंतसिंह सालमसिंहः
श्री लहर सिंह सिरोयाः
श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाणः
डॉ. सतीश पूनियाः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वन्यजीव संरक्षण और अनुसंधान को मजबूत करने के लिए 'नेक्स्ट जेनरेशन डीएनए सीक्वेसिंग फैसिलिटी' और 'डिजिटल वाइल्डलाइफ इंफॉर्मेशन सिस्टम' को चालू किया है;
(ख) इन सुविधाओं के उद्देश्य, हुए व्यय और प्रमुख विशेषताएँ क्या है;
(ग) क्या इन सुविधाओं का उपोयग आनुवंशिक प्रोफाइलिंग, वन्यजीव फोरेंसिक, रोग निगरानी और लुप्तप्राय प्रजातियों की निगरानी हेतु किया जाएगा;
(घ) क्या राज्य वन विभागों और संरक्षित क्षेत्रों को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किए जाने का प्रस्ताव है; और
(ङ) देश भर में प्रौद्योगिकी-संचालित वन्यजीव संरक्षण, वास्तविक समय आधारित डेटा साझाकरण और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) नेकष्ट जेनरेशन सीक्बेन्सिग एनजीएस) सुविधा त्वरित आनुवंशिक विश्लेषण प्रदान करती है जिससे देश भर में प्रजातियों के संरक्षण, अवैध वन्यजीवों- उत्पादों की फोरेंसिक जांच, रोग निगरानी, पारिस्थितिक और विकासक्रम संबंधी अध्ययन और देशभर में साक्ष्य

आधारित जैव विविधता संरक्षण और वन्यजीव आबादी की निगरानी में सुधार होता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून और भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, कोलकाता में एनजीएस सुविधा लगाए जाने के लिए 6.16 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। ये सुविधाएं सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित संरक्षित क्षेत्रों को वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के प्रबंधन में भी सहायता प्रदान करती हैं।

भारत सरकार, इस मंत्रालय के माध्यम से, वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास की केंद्र प्रायोजित योजना को लागू करती है, जिसमें वन्यजीवों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए परियोजना बाघ और हाथी तथा  वन्यजीव पर्यावासों का विकास शामिल है। इस योजना के तहत समर्थित कार्यकलापों में स्थल पर कार्यरत कर्मचारियों का क्षमता निर्माण, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के माध्यम से निगरानी और पर्यवेक्षण, कैमरा ट्रैप, जीपीएस/उपग्रह आधारित रेडियो टेलीमेट्री, एम-स्ट्राइरस (M-StrIPES) ड्रोन/यूएवी जैसे स्मार्ट अनुप्रयोग शामिल हैं।

****